एस्की रोडवेज (फर्म)

बनाम

आनन्दकृष्णन बस सर्विस

17 अगस्त, 1994

[के. रामास्वामी तथा एस.सी. अग्रवाल, न्यायमूर्तिगण]

मोटर यान अधिनियम, 1939—धारा 46—स्टेज कैरिज परमिट का अनुदान—अंक प्रदान किए जाने हेतु अभ्यर्थियों के दावे—संबंधित दावों पर विचार किए जाने की प्रासंगिक तिथि—आवेदन की तिथि नहीं, अपितु विचार की तिथि है।

अपीलकर्ता ने, प्रतिस्पर्धी उत्तरदाता के साथ, स्टेज कैरिज परमिट के अनुदान हेतु आवेदन किया था। संबंधित दावों पर विचार करने पर, आर.टी.ए. ने अपीलकर्ता को 10 अंक तथा उत्तरदाता को 8 अंक प्रदान करते हुए परमिट का अनुदान किया। आर.टी.ए. ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभ्यर्थियों के संबंधित दावों पर अंक प्रदान किए जाने हेतु विचार करने के लिए आवेदन की तिथि प्रासंगिक तिथि थी। अपील में, एस.टी.ए.टी. ने आर.टी.ए. के आदेश को अपास्त कर दिया तथा आवश्यक अंकों के अनुदान हेतु पात्रता पर विचार करने के प्रयोजन से विचार की तिथि को प्रासंगिक तिथि मानते हुए उत्तरदाता को परमिट का अनुदान कर दिया। पुनरीक्षण में, उच्च न्यायालय ने अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को उपधारित किया। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दाखिल की गई।

इस अपील में उठाया गया एकमात्र प्रश्न यह था कि क्या आर.टी.ए. को संबंधित दावों पर विचार की तिथि के अनुसार विचार करना चाहिए अथवा आवेदन की तिथि के अनुसार।

अपील को निरस्त करते हुए, इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1.1. मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 46 के अधीन परमिटों के अनुदान हेतु अपेक्षित अंकों के प्रदान किए जाने के लिए पात्रता पर विचार करने के प्रयोजन से विचार की तिथि प्रासंगिक तिथि है। विधि की यह घोषणा 1958 के अधिनियम 5 की धारा 46 के अधीन वैधानिक प्रवर्तन तक सीमित तथा उसके लिए विशिष्ट है। [707-जी, एच, 708-ए]

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम मानुरीपुर जूनियर मोटर सर्विस (प्रा.) लिमिटेड तथा अन्य, **[1971] अनुपूरक एस.सी.आर. 561**; *धानी देवी बनाम संत बिहारी तथा अन्य,* **[1969] 2 एस.सी.आर. 507** तथा *ए.एस. जलालुद्दीन बनाम बालासुब्रमणियार बस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड तथा एक अन्य,* **1965 की दीवानी अपील सं. 161, जिसका निर्णय 31-10-1967 को (सर्वोच्च न्यायालय) किया गया, का अवलंबन किया गया**।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1980 की दीवानी अपील सं. 570।

1978 की सी.आर.पी. सं. 88 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 5.3.80 के निर्णय तथा आदेश से।

सी.एस. वैद्यनाथन, के. विश्वनाथन तथा के.वी. वेंकटरामन, अपीलकर्ता की ओर से।

एस. श्रीनिवासन तथा श्रीमती एन. अन्नापूरणी, उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश प्रदत्त किया गया :

अपीलकर्ता ने, प्रतिस्पर्धी उत्तरदाता के साथ, तिरुचिरापल्ली से जयनकोंडम मार्ग पर स्टेज कैरिज परमिट के अनुदान हेतु 10 अक्टूबर, 1975 को अथवा उससे पूर्व आवेदन किया था। 22 अक्टूबर, 1975 को आक्षेप आमंत्रित किए गए थे और आक्षेप दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर, 1975 थी। संबंधित दावों पर विचार करने पर, तिरुचिरापल्ली के आर.टी.ए. ने अपीलकर्ता को 10 अंक तथा उत्तरदाता को 8 अंक प्रदान किए। उस आधार पर, आर.टी.ए. ने अपीलकर्ता को परमिट का अनुदान किया। उत्तरदाता ने विषय को अपील में एस.टी.ए.टी. के समक्ष ले गया, जिसने दिनांक 14 नवंबर, 1977 के अपने आदेश द्वारा

आर.टी.ए. के आदेश को अपास्त कर दिया तथा उत्तरदाता को परमिट का अनुदान किया। 1978 की सी.आर.पी. सं. 88 में, दिनांक 5 मार्च, 1980 के आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने एस.टी.ए.टी. के आदेश को उपधारित किया। इस प्रकार, विशेष अनुमति द्वारा यह अपील।

इस अपील में विचारार्थ उत्पन्न होने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या आर.टी.ए. को संबंधित दावों पर विचार की तिथि के अनुसार विचार करना चाहिए अथवा आवेदन की तिथि के अनुसार। आर.टी.ए. ने अभिनिर्धारित किया कि आवेदन की तिथि प्रासंगिक तिथि थी। किन्तु अपीलीय प्राधिकारी तथा उच्च न्यायालय ने यह पाया कि विचार की तिथि प्रासंगिक तिथि थी। निर्विवाद रूप से, उत्तरदाता-साझेदारी फर्म का पुनर्गठन 1 अप्रैल, 1976 को ईश्वरन को एक प्रबंध भागीदार के रूप में सम्मिलित करते हुए किया गया था और उसका पंजीकरण साझेदारी अधिनियम की धारा 69 के अधीन 21 मई, 1975 को किया गया था। निर्विवाद रूप से, प्रबंध भागीदार के पास विचार की तिथि के अनुसार तकनीकी अर्हता थी। प्रबंध भागीदार के तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त व्यक्ति होने के कारण, उत्तरदाता अर्हताओं के आधार पर दो अतिरिक्त अंकों के प्रदान किए जाने के हकदार हैं। अपीलीय अधिकरण ने उस तथ्य को विचार में लेते हुए 10 अंक प्रदान किए और तुलनात्मक मूल्यांकन पर, चूँकि तब तक उत्तरदाता के पास तीन परमिट थे, उत्तरदाता को परमिट का अनुदान किया। यह प्रश्न कि क्या विचार की तिथि प्रासंगिक तिथि है, अब अनिर्णीत नहीं रह गया है। इस न्यायालय ने *महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम मंगरूलपीर संयुक्त मोटर सर्विस (प्रा.) लिमिटेड तथा अन्य*, [1971] अनुपूरक एस.सी.आर. 561 के पृष्ठ 571 पर अभिनिर्धारित किया था कि :

> "द्वितीय प्रश्न पर उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटिपूर्ण था कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को परमिट के अनुदान हेतु आवेदनों पर विचार करते समय आवेदकों की संबंधित अर्हताओं पर उनके आवेदनों की

तिथि के अनुसार विचार करना होगा, न कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा परमिट के अनुदान हेतु आवेदनों पर वास्तविक विचार किए जाने की तिथि के अनुसार।"

इस न्यायालय ने उस निष्कर्ष के समर्थन में विविध परिस्थितियों पर विचार किया। इस न्यायालय ने कहा कि यदि आवेदन की तिथि के अनुसार आवेदकों में से किसी एक के विरुद्ध दिवालियापन याचिका लंबित हो, किन्तु विचार की तिथि के अनुसार उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, तो वह विधि के प्रवर्तन द्वारा परमिट के अनुदान का हकदार नहीं रह जाता है। आवेदन की तिथि के अनुसार यदि कोई दोषसिद्धि न हो, किन्तु विचार की तिथि के अनुसार यदि किसी आवेदक को दोषसिद्ध कर दिया गया हो, तो वह भी विचार किए जाने के लिए अपात्र हो जाता है।

एक अन्य परिस्थिति धानी देवी बनाम संत बिहारी तथा अन्य, [1969] 2 एस.सी.आर. 507 के वाद में उत्पन्न हुई थी, जिसमें विचार किए जाने से पूर्व आवेदकों में से एक की मृत्यु हो गई थी और उसके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर प्रतिस्थापित कर दिया गया था। जब इस पर प्रश्न उठाया गया, तब इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधिक प्रतिनिधि, परमिट के अनुदान हेतु मृत आवेदक की संपदा के उत्तराधिकारियों के रूप में विचार किए जाने के हकदार हैं। ए.एस. जलालुद्दीन बनाम बालासुब्रमणियार बस सर्विस (प्रा.) लिमिटेड तथा एक अन्य, 1965 की दीवानी अपील सं. 161, जिसका निर्णय 31.10.1967 को किया गया था, में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या वह आवेदक, जिसने मार्ग के किसी एक टर्मिनस पर शाखा कार्यालय स्थापित करके आवासीय अर्हता प्राप्त कर ली थी, विचार की तिथि के अनुसार पात्र माना जाएगा। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वह इसका हकदार है। इन विचारणाओं के दृष्टिगत, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि 1939 के अधिनियम IV की धारा 46 के अधीन अपेक्षित अंकों के प्रदान किए जाने हेतु पात्रता पर विचार करने के प्रयोजन से विचार की तिथि प्रासंगिक तिथि है। 1970 से यह

विधि प्रवर्तन में होने के कारण, हम यह नहीं समझते कि इस न्यायालय की किसी वृहत्तर पीठ द्वारा इसके किसी पुनर्विचार की आवश्यकता है। तदनुसार, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि विचार की तिथि वह प्रासंगिक तिथि है, जिस पर परमिट के अनुदान हेतु अंकों के प्रदान किए जाने के लिए अभ्यर्थी के संबंधित दावों पर विचार किया जाना है। यह स्पष्ट किया जाता है कि विधि की यह घोषणा 1958 के अधिनियम 5 की धारा 46 के अधीन वैधानिक प्रवर्तन तक सीमित तथा उसके लिए विशिष्ट है।

तत्पश्चात यह तर्क किया गया कि अपीलकर्ता स्थगन आदेशों के कारण सेवा का संचालन करता रहा है और इसलिए समय के अंतराल के कारण इसमें हस्तक्षेप अपेक्षित है। हमें भय है कि हम ऐसे तर्क को स्वीकृति नहीं दे सकते, क्योंकि जो व्यक्ति परमिट के अनुदान हेतु अपात्र था, वह न्यायालय के आदेश द्वारा किए गए अनुदान को वैधता प्राप्त नहीं कर सकता। उसे केवल वैधानिक रूप से ही अधिकार प्राप्त होना चाहिए और केवल उसी अधिकार का न्यायिक पुनर्विलोकन द्वारा संरक्षण किया जा सकता है।

इसके पश्चात यह तर्क किया गया कि इस न्यायालय में उत्तरदाता द्वारा किए गए आवेदन में उत्तरदाता-फर्म ने स्वीकार किया है कि वह जनता के लिए स्टेज कैरिज सेवा का संचालन करने की स्थिति में नहीं है और वह न्यायालय की अनुमति से उसे प्रदान किए गए परमिटों में से एक का अंतरण करना चाहती थी। इससे यह प्रदर्शित होता है कि उत्तरदाता जनता की यात्रा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सेवा का संचालन करने की स्थिति में नहीं है और इसलिए यह हस्तक्षेप का वाद है। हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। परमिटों में से एक के अंतरण की अनुमति के समर्थन में अनेक आधार दिए गए हैं, किन्तु प्रश्नगत परमिट वह नहीं है जिसके संबंध में अनुमति माँगी गई थी। इन परिस्थितियों में, हमें उच्च न्यायालय तथा अपीलीय अधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराने वाला कोई औचित्य नहीं मिलता है।

तत्पश्चात यह तर्क किया गया कि मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रवर्तन द्वारा विधि में हुए परिवर्तन तथा तमिलनाडु राज्य द्वारा बनाए गए विशेष विधि, अर्थात् तमिलनाडु मोटर यान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम 41), जिसके द्वारा प्रदत्त सभी परमिटों के नवीकरणों को वैध ठहराया गया है, के दृष्टिगत, चूँकि अपीलकर्ता नवीकरण प्राप्त करके परमिट का संचालन करता रहा है, इसलिए उसे परमिट का संचालन जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम ऐसा कोई निर्देश नहीं दे सकते। अपीलकर्ता के लिए यह खुला होगा कि वह विधि के अनुसार समुचित प्राधिकारी के समक्ष अभिगमन करे, जिसका विचार किया जाएगा तथा निस्तारण किया जाएगा।

तदनुसार, अपील निरस्त की जाती है, किन्तु परिस्थितियों में, व्ययों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

ए.जी. अपील निरस्त की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।